

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

1- अपील संख्या 54/2018

इन्द्रजीत सिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति रायसिख निवासी चक 1 ए बडा शर्कज नहर
ढाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।
2. बलविन्द्र सिंह पुत्र जीतसिंह जाति रायसिख निवासी कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. टहलसिंह पुत्र जगतार सिंह जाति रायसिख निवासी कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

2- अपील संख्या 77/2018

मालासिंह पुत्र जगतारसिंह जाति रायसिख निवासी शर्कज नहर कोठा तहसील व
जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. बलविन्द्र सिंह पुत्र जीतसिंह जाति रायसिख निवासी कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राज. भू-राजस्व अधि. 1956

विरुद्ध आदेश अतिरिक्त कलक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर दिनांक 25.04.2018 एव


नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट दिनांक 02.04.2018

उपस्थिति :-

श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री महावीर धारणियां राजकीय अधिवक्ता

श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक रेस्पों.


राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय

दिनांक: 03.12.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट ने अपीलार्थीगण को चक शर्कज नहर कोठा के मु.नं. 4, 5, 10, 11 की 2.512है0 भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए राज.उपनि.अधि. की धारा 22 के तहत बेदखल करने एवं तावान कायम करने के आदेश दिये जिसके विरुद्ध अपीलांत ने अति. कलक्टर(प्रशा.) श्रीगंगानगर के समक्ष अपील पेश करने पर अति.कलक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर ने दिनांक 25.04.2018 को अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरुद्ध दोनों अपीलें पेश हुई हैं। दौराने अपील बलविन्द्रसिंह पुत्र जीतसिंह जाति रायसिख निवासी कोठा तहसील श्रीगंगानगर ने पक्षकार बनने हेतु आवेदन किया। चूंकि अधी. न्यायालय अपर कलक्टर श्रीगंगानगर के यहां श्री बलविन्द्रसिंह पुत्र जीतसिंह पक्षकार थे। ऐसी स्थिति में इन दोनों अपीलों में श्री बलविन्द्रसिंह को रेषों. के रूप में पक्षकार बनाया गया।

चूंकि दोनों ही अपीलें एक ही आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत होने पर उभयपक्ष द्वारा एक साथ बहस किये जाने से दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलांत का पुराना कब्जा काशत चला आ रहा है एवं सक्षम न्यायालय में आवंटन की कार्यवाही कर रखी है। अपीलांत सद्भावी काशतकार है। यह तथ्य अधी. न्यायालय के समक्ष उपलब्ध थे फिर भी अपीलांत को अतिक्रमी मानकर आदेश पारित किया है जो उचित नहीं है। अपीलाधीन भूमि के सम्बन्ध में धारा 22 उपनि.अधि. के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। विवादित भूमि अन्य व्यक्ति को आवंटित की हुई है। इसे सरकारी नहीं माना जाना चाहिए। अतः अपील अपीलांत स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि रकबा राज है जिस पर अपीलांत का साधिकार कब्जा काशत नहीं है। आवंटन का प्रा.पत्र विचाराधीन होने से अपीलांत आवंटन के पात्र

10/4
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (गण.)

नहीं बन सकते। अधी. न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अपीलार्थीगण को आवंटन का पात्र नहीं माना है, पूर्व में भी इस प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल तक ने अपीलांट्स की बेदखली के आदेश पारित कर रखे हैं। रकबा राज पर अतिक्रमी मानकर नायब तहसीलदार ने जो आदेश पारित किया है वह उचित है एवं उसकी अपील भी अति.कलक्टर (प्रशा.) ने खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः दोनों अपीलें खारिज कि जावे।

रेस्पो. सं. 2 श्री बलविन्द्रसिंह के अधिवक्ता ने भी राजकीय अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए अपीलार्थीगण के बिना किसी अधिकार के सरकारी भूमि पर अतिचार करने को दृष्टिगत रखते हुए दोनों अपीलें खारिज करने की इस्तदुआ की एवं यह भी कहा कि अधी. न्यायालय के निर्णय में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण द्वारा की गई फसल की निलामी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में यह अपील वैसे ही इन्फ्रेक्चुअस है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाए।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन एवं चिन्तन किया गया तथा अधी. न्यायालय की पत्रावली का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपील मीमों में यह अंकित किया है कि अपीलार्थी का विवादित भूमि पर 1952 से लेकर कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं आवंटन का प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में अधी. न्यायालय अति. कलक्टर(प्रशा.) श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट माना है कि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 16.04.2001 के पश्चात भूमि राज्य सरकार में निहित होकर वकायदा राजस्व रिकार्ड में अनाधिवासित दर्ज है एवं इस कारण अपीलार्थीगण का इस भूमि पर कब्जा नहीं माना जा सकता है। अपीलांट ने विवादित भूमि पर साधिकार कब्जा होने बाबत न तो अधी. न्यायालय में और न ही इस न्यायालय में कोई साक्ष्य पेश किया है। यदि अपीलांट का आवंटन का प्रा.पत्र विचाराधीन है तो इससे अपीलांट को इस अपील में कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना जा सकता। अधी. न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि अपीलार्थीगण पंजाब राज्य के निवासी होने से आवंटन का आवेदन दावा पेश करने के अधिकारी भी नहीं ठहरते हैं, साथ अधी. न्यायालय में


राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलार्थीगण की फसल काश्त की निलामी दिनांक 04.04.2018 को अन्तिम कर देने का विवरण अंकित है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा जो तथ्य अपील मीमों में उटाए हैं इनका निराकरण प्रथम अपील के निर्णय में अति.कलक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर द्वारा अपने निर्णय में किये जा चुके हैं। अपीलांट ने इस तथ्य से इन्कार नहीं किया कि विवादित भूमि रकबा राज नहीं है। ऐसा कोई तथ्य अपीलांट द्वारा इस अपील में पेश नहीं किया जिससे अपीलांट का विवादित भूमि पर स्वत्व माना जा सके। इस प्रकार अपीलांट अधी. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.04.2018 में कोई विधिक त्रुटि प्रमाणित नहीं कर सकें हैं। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के विनम्र मत में अधी. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.04.2018 में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइस नहीं है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर